

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186-2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 4, 2019 (KARTIKA 13, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2019

No. 34-HLA of 2019/92/15838.— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2019 hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 34-HLA of 2019

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

Short title and commencement

- (2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint except section 22 of this amending Act, which shall come into force on the date of publication of this Act.
- 2. In clause (4) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), after the words and sign "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words and sign "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017.

- 3. In section 10 of the principal Act,—
 - (I) in sub-section (1), after the second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.

- "Explanation.— For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.";
- (II) in sub-section (2),—
 - (i) in clause (d), the word "and" occurring at the end shall be omitted;
 - (ii) in clause (e), for the word and sign "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;
 - (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";
- (III) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-sections (1) and (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate, as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not—
 - (a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;
 - (b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;
 - (c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;
 - (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
 - (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, (Central Act 43 of 1961) the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

- (IV) in sub-section (3), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)" occurring twice, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be" shall be inserted.
- (V) in sub-section (4), after the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be" shall be inserted.
- (VI) in sub-section (5), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be" shall be inserted.
- (VII) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:—
 - "Explanation 1.—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

- **Explanation 2.** For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:—
- (i) supplies from the 1st day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".
- **4.** In section 22 of the principal Act, in sub-section (1),-
 - (i) in the second proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) after the second proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. After sub-section (6) of section 25 of the principal Act, the following sub-sections shall be inserted, namely:—

Amendment of section 25 of Haryana Act 19 of 2017

Amendment of

Haryana Act 19

section 22 of

of 2017.

"(6A) Every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time, as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorized representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-sections (6A) or (6B) or (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act 18 of 2016)."

Insertion of section 31A in Haryana Act 19 of 2017.

6. After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"31A. Facility of digital payment to recipient.— The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017. 7. In section 39 of the principal Act,—

- (I) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
 - "(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of sections 10 or 51 or 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish a return electronically of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

- (2) A registered person paying tax under the provisions of section 10 shall, for each financial year or part thereof, furnish a return electronically of turnover in State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner and within such time, as may be prescribed.";
- (II) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (I), other than the person referred to in the proviso thereto, or subsections (3) or (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (*I*) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in State, inward supplies of goods or services or both, tax payable and such other particulars during a quarter, in such form and manner and within such time, as may be prescribed."

Amendment of section 44 of Haryana Act 19 of 2017.

- **8.** In sub-section (1) of section 44 of the principal Act,-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons, as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. After sub-section ((9) of section 49 of the principal Act, the following sub-sections shall be added, namely:—

Amendment of section 49 of Haryana Act 19 of 2017.

- "(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.
- (11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1)."
- 10. In sub-section (1) of section 50 of the principal Act, -
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under sections 73 or 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

- 11. In section 52 of the principal Act,—
 - (I) in sub-section (4),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

- (II) in sub-section (5),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons, as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"53A. Transfer of certain amounts.- Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (Central Act 15 of 2017) the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time, as may be prescribed."

Amendment of section 50 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 52 of Haryana Act 19 of 2017.

Insertion of section 53A in Haryana Act 19 of 2017. Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

- **13**. After sub-section (8) of section 54 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State Tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government."

Amendment of section 95 of Haryana Act 19 of 2017.

- 14. In section 95 of the principal Act,—
 - (I) in clause (a),—
 - (i) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
 - (ii) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "of the Act or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017)" shall be inserted;
 - (II) in clause (e),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
 - (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.".

Insertion of new section 101A

- 15. After section 101 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "101A. National Appellate Authority for Advance Ruling,— Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

Amendment of section 102 of Haryana Act 19 of 2017.

- **16**. In section 102 of the principal Act,
 - (i) after the words "Appellate Authority", occurring twice, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
 - (ii) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "of the Act or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) respectively" shall be inserted;
 - (iii) for the words "or the appellant", the words and signs ",appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

Amendment of section 103 of Haryana Act 19 of 2017.

- 17. In section 103 of the principal Act,—
 - (I) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—
 - (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (*I*) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(Central Act 43 of 1961);
 - (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(Central Act 43 of 1961).":
 - (II) in sub-section (2), after the words, brackets and figure "in sub-section (I)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (IA)" shall be inserted.

Amendment of section 104 of Haryana Act 19 of 2017.

- **18**. In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),—
 - (i) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

- (ii) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "of the Act or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017)" shall be inserted.
- 19. In section 105 of the principal Act,—
 - (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

Amendment of section 105 of Haryana Act 19 of 2017

- "Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";
- (ii) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
- (iii) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority" occurring twice, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.
- **20**. In section 106 of the principal Act,—
 - (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

2017. mellate

Amendment of section 106 of

Haryana Act 19 of

- "Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";
- (ii) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.
- **21**. After sub-section (3) of section 171 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 171 of Haryana Act 19 of 2017.

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both."

22. (1) In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, issued by the Government on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after serial number 103 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

Amendment of notification retrospectively.

(1)	(2)	(3)
"103A	26	Uranium Ore Concentrate"

- (2) For the purposes of sub-section (1), the Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the Government had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.
- (3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

- 2. The Act provides for certain provisions for smooth transition of existing taxpayers to new goods and services tax regime. However, the new tax regime had faced certain difficulties. One of the major inconveniences caused to the taxpayers, especially small and medium enterprises, was the process of filing return and payment of tax under the Goods and Services Tax laws. The taxpayers also faced problems on account of disbursal of refunds wherein they had to approach both the Central and State Authorities. Similarly, problems were also faced in taking refund if tax was deposited under wrong head. In order to implement the new return filing system, and also to overcome the above difficulties, it is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2019, *inter alia*, provides for the following, namely:—
 - (i) to amend section 10 of the Act to provide alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers (not eligible for the earlier composition scheme) having an annual turnover in preceding financial year upto rupees fifty lakhs;
 - (ii) to amend section 22 of the Act to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakhs to such amount not exceeding rupees forty lakhs in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods;
 - (iii) to amend section 25 of the Act to provide for mandatory Aadhaar submission or authentication for persons who intend to take or have taken registration under the Act;
 - (iv) to insert a new section 31A in the Act to provide that supplier shall mandatorily offer facility for digital payments to his recipient;
 - (v) to amend section 39 of the Act to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly and monthly payments under the proposed new return filing system;
 - (vi) to amend section 49 of the Act to provide facility to the taxpayer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger;
 - (vii) to amend section 50 of the Act to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in those cases where tax is paid subsequent to initiation of any proceedings under section 73 or 74 of the Act;
 - (viii) to amend section 54 of the Act to provide for a single interface for disbursal of refund by a single authority.
 - (ix) to insert sections 101A in the Act to provide for National Appellate Authority for Advance Ruling;
 - (x) to insert new sub-section (3A) in section 171 of the Act so as to empower the Authority specified under sub-section (2) thereof to impose penalty equivalent to ten per cent of the profiteered amount.
 - 4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clasuses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 4th November, 2019.

R. K. NANDAL, SECRETARY.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2019 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 34-एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

- 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है ।
- (2) यह संशोधित अधिनियम की धारा 22, जो इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से लागू होगी, को छोड़कर ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन। 2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (4) में, ''अग्रिम विनिर्णय अपील अधिकरण,'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण,'' शब्द रखे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम में, धारा 10 में,—
 - (I) उपधारा (1) में, द्वितीय परंतूक के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-
 - "व्याख्या 1.— द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या छूट के रूप में वर्णित किया जाता है, के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई छूट प्राप्त सेवाओं की प्रदाय के मूल्य को राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।";
 - (II) उपधारा (2) में,-
 - (i) खंड (घ) में, अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (ङ) में, "अधिसूचित किया जाए:" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "अधिसूचित किया जाए; और" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (iii) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";
 - (III) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और (2) के अधीन कर के भुगतान का चुनाव करने के लिए पात्र नहीं है, जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन भुगतानयोग्य कर के बदले में, ऐसी दर, जो विहित की जाए, पर संगणित कर की राशि, किन्तु राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो, का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भूगतान करने का चुनाव कर सकता है, यदि वह,—

- (क) ऐसे किसी माल या सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर उदग्रहणीय नहीं है;
- (ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;
- (ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे प्रदाय में नहीं लगा है:

- (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और
- (ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वही स्थायी खाता संख्या रखते हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी किया गया है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का भुगतान करने का चुनाव नहीं करते हैं।";

- (IV) उपधारा (3) में, दो बार आने वाले, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के बाद, ''या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (V) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के बाद, ''या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो,'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (VI) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के बाद, "या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (VII) उपधारा (5) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:--
 - "व्याख्या 1.— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर का भुगतान करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" अभिव्यक्ति में किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से उस तिथि तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदायों के मूल्य शामिल होंगे, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या छूट के रूप में वर्णित किया जाता है, के माध्यम से उपलब्ध करवायी गई छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदायों का मूल्य शामिल नहीं होगा।
 - व्याख्या 2.— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "राज्य में आवर्त" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित प्रदायों का मूल्य शामिल नहीं होगा, अर्थात्:—
 - (i) किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से उस तिथि तक की प्रदाय,
 जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और
 - (ii) निक्षपों, ऋणों या अग्रिमों, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, में विस्तार के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई छूट प्राप्त सेवाओं की प्रदाय।"।
- 4. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) में,-
 - (i) द्वितीय परंतुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे प्रदायकर्ता की दशा में, जो माल की अनन्य प्रदाय में लगा है, चालीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो अधिसूचित की जाएं, के अधीन रहते हुए बीस लाख रूपए के सकल आवर्त को ऐसी राशि, जो चालीस लाख रूपए से अनिधक हो, तक बढ़ा सकती है।

व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य प्रदाय में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या छूट के रूप में वर्णित किया जाता है, के माध्यम से छूट प्राप्त सेवाओं की प्रदाय में लगा हुआ है।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 22 का संशोधन। 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 25 का संशोधन।

- 5. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात:—
 - "(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, आधार संख्या सत्यापन कराएगा या उसे धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगाः

परंतु यदि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा विहित की जाए, में पहचान के किसी वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन का प्रस्ताव दिया जाएगा:

परंतु यह और कि आधार संख्या सत्यापन कराने या उसे धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, ऐसे व्यक्ति को आबंटित रिजस्ट्रीकरण को अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रिजस्ट्रीकरण नहीं है।

(६ख) अधिसूचना की तिथि से ही, प्रत्येक वैयक्तिक, रजिस्ट्रीकरण प्रदान के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में आधार संख्या सत्यापन कराएगा या उसे धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां किसी वैयक्तिक को आधार संख्या समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे वैयक्तिक को ऐसी रीति, जो सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, में पहचान के किसी वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन का प्रस्ताव दिया जाएगा।

(6ग) अधिसूचना की तिथि से ही, वैयक्तिक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना में विहित की जाए, में कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों के आधार संख्या सत्यापन कराएगा या उसे धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान के किसी वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्ताव दिया जाएगा, जो परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

- (६घ) उपधारा (६क) उपधारा (६ख) उपधारा (६ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गो या राज्य के किसी ऐसे भाग में लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा, अधिसूचित किया जाए।
- व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार संख्या" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 2 के खंड (क) में इसे दिया गया है।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 31क का रखा जाना।

6

मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल भुगतान की सुविधा.— सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकती है, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रोनिक भुगतान का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बधनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए तदनुसार भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"।

मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

- (I) उपधारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—
 - "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर, भुगतान किया गया कर और ऐसे अन्य ब्यौरे ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन। परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- (2) धारा 10 के उपब्धों के अधीन कर का भुगतान करने वाला कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, भुगतानयोग्य कर, भुगतान किया गया कर और ऐसे अन्य ब्यौरे ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।"।
- (II) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 - "(7) उपधारा (1) के परन्तुक में, या उपधारा (3) या (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का भुगतान उस तिथि से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर और ऐसे अन्य ब्यौरे ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का भुगतान करेगा:

परंतु यह और की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, भुगतानयोग्य कर और ऐसे अन्य ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का भुगतान करेगा ।"।

- 8. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान "।" चिहन के स्थान पर, ":" चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात:-

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा में विस्तार कर सकता है:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (9) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात:—

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी राशि या किसी अन्य राशि को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकता है और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी राशि को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) में यथा उपबन्धित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में,—

- (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"पंरतु किसी कर अविध के दौरान किए गए प्रदायों और धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तिथि के पश्चात् उक्त अविध के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी, जहां ऐसी विवरणी उक्त अविध के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, को छोड़कर, में घोषित उक्त प्रदायों के संबंध में भुगतानयोग्य कर पर ब्याज, उस कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका भुगतान इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 44 का संशोधन।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 49 का संशोधन।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 50 का संशोधन। 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 52 का संशोधन।

- मूल अधिनियम की धारा 52 में,-11.
 - (I) उपधारा (4) में,-
 - अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:-(ii)

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वरा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए, विवरणी प्रस्तत करने की समय-सीमा का विस्तार कर सकता है :

परंत् यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

- (II)उपधारा (5) में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"परंत आयक्त, परिषद की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से. अधिसूचना द्वारा, रिजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा का विस्तार कर सकता है:

परंत् यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा ५३क का रखा जाना।

मूल अधिनियम की धारा 53 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:-12.

"53क. कतिपय राशियों का अन्तरण.— जहां किसी राशि को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अधीन या माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15) के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई राशि के बराबर राशि का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी"

मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:-

केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार प्रतिदाय की गई राशि के बराबर राशि का अंतरण करेगी।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।

13.

15.

मूल अधिनियम की धारा 95 में,-14.

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा ९५ का संशोधन।

- (I) उपखंड (क) में,-
 - "अपील प्राधिकरण" शब्दों के बाद, ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे

"(8क) जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया है, तो सरकार,

- ''धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और (ii) कोष्डकों के स्थान पर, "अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 101ग" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगे:
- (II)खंड (ङ) में,-
 - अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा. अर्थात:-(ii)

"(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' से अभिप्राय है, धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।"।

नई धारा 101क का रखा जाना। मूल अधिनियम की धारा 101 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

''101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण.— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।"।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में,-

(i) दो बार आने वाले "अपील प्राधिकरण" शब्दों, के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे; 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 102 का संशोधन।

- (ii) "धारा 98 या धारा 101" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "क्रमशः अधिनियम की धारा 98 या धारा 101 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 101ग" शब्द, अंक, और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगे;
- (iii) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर, "या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 17. मूल अधिनियम की धारा 103 में,-
 - (I) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा— 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 103 का संशोधन।

- (क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्या है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी किया गया है:
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्या है, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी किया गया है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।":
- (II) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंको के बाद, ''और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे।
- 18. मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में,-

(i) "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे; 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 104 का संशोधन।

- (ii) "धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक, और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 19. मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 105 का संशोधन।

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

- (ii) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के बाद, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे
- (iii) उपधारा (2) में, दो बार आने वाले, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के बाद, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
- 20. मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 106 का संशोधन।

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ii) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के बाद, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 171 का संशोधन। 21. मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) जहां उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करने के पश्चात्, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई राशि के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान करने का दायी होगाः

पंरतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की राशि, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर जमा करवा दी जाती है।

व्याख्या.— इस धारा के प्रायोजन के लिए "मुनाफाखोरी" अभिव्यक्ति का अर्थ है, माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का लाभ या माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं देने के कारण अवधारित राशि।"।

भूतलक्षी रूप से अधिसूचना का संशोधन। 22. (1) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36 / एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में, क्रम संख्या 103 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी और प्रथम जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थातः—

1	2	3
"103क	26	यूरनियम अयस्क सांद्र''।

- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, सरकार के पास उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति होगी और समझी जाएगी मानो सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।
- (3) कोई भी प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर लागू हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतः राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

- 2. अधिनियम मौजूदा करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारू संक्रमण के लिए कुछ प्रावधान प्रदान करता है। हालांकि, नए कर शासन में कुछ किनाइयों का सामना करना पड़ा था। करदाताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को माल और सेवा कर प्रणाली में होने वाली प्रमुख असुविधाओं में से एक विवरणी (रिटर्न) भरने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया थी। करदाताओं को प्रतिदाय (रिफंड) के संवितरण के लिए केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों से संपर्क करना होता था जिस कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। उसी तरह, गलत हेड के तहत टैक्स जमा करने पर रिफंड लेने में भी असुविधा का सामना करना पड़ता था। नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए, और उपरोक्त किनाइयों के निवारण के लिए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
- 3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :--
 - (i) सेवाओं के प्रदायकर्ता या मिश्रित प्रदायकर्ताओं (जो पूर्व की प्रशमन योजना के लिए पात्र नहीं है), जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपये तक है के लिए वैकल्पिक प्रशमन योजना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करना ;
 - (ii) उस प्रदायकर्ता की दशा में जो मालों की अनन्य प्रदाय में लगा हुआ है के लिए बीस लाख रुपये की उच्चतर अवसीमा छूट को चालीस लाख रुपये से अनधिक तक उपबन्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करना ;
 - (iii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने वाले व्यक्तियों, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने या प्राप्त कर लेने को आशय रखते है के लिए आज्ञापक रूप से आधार प्रस्तुत करने या उसका अधिप्रमाणन करने के लिए अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करना ;
 - (iv) अधिनियम में नई धारा 31क का रखा जाना जिससे यह उपबन्ध किया जा सके कि प्रदायकर्ता अपने प्राप्तिकर्ता को डिजिटल भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से सुविधा प्रदान करेगा ;
 - (v) ऐसे करदाता जो प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेता है द्वारा वार्षिक विवरणियों व कर के तिमाही भुगतान और करदाताओं के कतिपय अन्य प्रवर्ग के लिए नई प्रस्तावित विवरणी प्रणाली के अधीन त्रैमासिक और मासिक भुगतानों हेतु विकल्प के लिए अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करना ;
 - (vi) करदाता को इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में किसी राशि का अंतरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 49 में संशोधन करना ;
 - (vii) केवल शुद्ध नकद कर दायित्व पर ही ब्याज प्रभारित किया जा सके, सिवाय उन मामलों के जहां कर का भुगतान अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् किया जाता है के लिए अधिनियम की धारा 50 में संशोधन करना ;
 - (viii) एकल प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय के संवितरण के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करना ;
 - (ix) राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम में नई धारा 101क का रखा जाना
 - (x) अधिनियम की धारा 171 में नई उपधारा (3क) का रखा जाना जिससे उसकी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को मुनाफाखोरी की राशि के दस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके।
- 4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधायक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढः दिनांक ४ नवम्बर, 2019. आर० के० नांदल, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

57464—H.V.S.—H.G.P. Chd.